**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1124**
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

## महिला शक्ति केंद्र

1124 **श्री अभय कुमार सिन्हा:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी महिला सशक्तिकरण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में इन योजनाओं पर जिला-वार कितनी निधि आवंटित / व्यय की गई है;

(ग) क्या महिला साक्षरता दर में गिरावट और महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत लक्षित उपाय करने की कोई नीति बनाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत उक्त राज्य को भेजी जाने वाली वित्तीय सहायता की कुछ राशि अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो संबंधित योजनाओं के संबंध में लंबित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (ङ) :** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 को घटते बाल लिंगानुपात (सीएसआर) और जीवन चक्र में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु शुरू की गई थी। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के अंतर्गत एक घटक के रूप में बीबीबीपी का विस्तार

बिहार सहित देश के सभी जिलों में किया गया है। इसके लिए बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित किया गया है।

यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, संलग्न और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने पर केंद्रित है। इस दिशा में, मंत्रालय ने एक परिचालन नियमावली तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के समग्र विकास एवं बालिकाओं, उनके परिवारों तथा समुदायों की वर्ष भर की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सुझाई गई तालमेल क्रियाकलापों हेतु एक विषयगत कैलेंडर शामिल है, जिसमें माहवार विशिष्ट विषय शामिल हैं।

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, वर्ष 2020-21 तक जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी)की स्थिति (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार) के आधार पर निधि जारी की जाती है। 918 से कम या उसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को प्रति वर्ष 40 लाख रुपये, 919 से 952 तक एसआरबी वाले जिलों को प्रति वर्ष 30 लाख रुपये और 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को क्रमशः 20 लाख रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बीबीबीपी के अंतर्गत प्रावधान और स्पष्टीकरण के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे बीबीबीपी योजना के अंतर्गत विज्ञापनों एवं मीडिया एडवोकेसी के लिए कुल आवंटन का 25% उपयोग करें, जिसमें समग्र सरकारी/अभिसारी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तरीके से निधि का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है:

i. सीधे जिलों के माध्यम से, या
ii. आंशिक रूप से जिलों के माध्यम से, शेष का प्रबंधन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, या
iii. जिलों की ओर से सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को संगठित करके बीबीबीपी एक नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल लिंगानुपात और लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक चिंताओं को दूर करना है, बल्कि बालिकाओं को महत्व देने तथा उनके अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार राज्य को बीबीबीपी के अंतर्गत जारी निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना को नवंबर, 2017 में अनुमोदित किया गया था। नीति आयोग द्वारा 2020 में एमएसके योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था। मूल्यांकन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा हितधारकों के परामर्श के बाद, इस योजना को 01.04.2022 से बंद कर दिया गया।

*****

**अनुलग्नक**

**श्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा "महिला शक्ति केंद्र" विषय के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1124 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार राज्य को बीबीबीपी के अंतर्गत जारी निधि का विवरण

| **जारी निधि (रूपए लाख में)** | | | |
|---|---|---|---|
| **2022-23** | **2023-24** | **2024-25** | **2025-26**<br>(एसएनए स्पर्श के माध्यम से) |
| 660.00 | 0.00 | 322.5 | 645.0 |

*****